न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/66/2019

प्रवेश तिथि 24.07.19

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.08.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 14.06.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को जिला कलक्टर अलवर कार्यालय का पत्रांक 2394 दि. 30.04.19 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 14.06.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.09.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/493–40 दिनांकः 24.07.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 01.08.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र क्रमशः दिनांकः 01.08.19, 19.08.19 एवं 21.08.19 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 14.06.19 पर अपीलार्थी को प्रेषित पत्रांक लोकसूचना/19/827 दि. 01.07.19 के माध्यम से "अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जिला कलक्टर अलवर कार्यालय का पत्रांक 2394 दि. 30.04.19 के संबंध में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी की आवक शाखा लिपिक से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसमें उक्त पत्र कार्यालय को प्राप्त होना नहीं बताया गया है। पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी को—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

लिखा गया" बावजूद इसके अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त वांछित पत्र की प्रति उपलब्ध कराने पर ही प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सकती थी।

8. उक्त आलोक अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)